

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 02/अ-82/17-18/बांसपुर/ 4628

बैतूल दिनांक 15.05.2019

// घोषणा //

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-(1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	बांसपुर	0.160	ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची- (2)

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हे0 में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	शंकर वल्द अलोप ओझा वल्द मदन तुलसी, रामदीन वल्द दलप कोयली पिता दलप गोंड सा0 देह	132	1.428	0.006
2	महादेव वल्द मीट्टू ढीमर सा0 शोभापुर	78/4	2.428	0.009
3	राजेश कुमार वल्द राधेश्याम बनिया सा0 देह	83/1	1.914	0.090
4	जगराम, जारू, मंजू वल्द बुद्ध सुगन्ती बेवा बिहारी रावन सरवन वल्द बिहारी गोंड सा0 देह	83/2	0.405	0.035
5	शांतीबाई जौजे रामजी जाति गोंड सा0 देह	84	1.052	0.020
योग			7.227	0.160

(2) चूंकि तीसरी रेल्वे लाईन, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)

(तरुण कुमार पिथोड़े)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,



(Handwritten Signature)

पृ0 क्रमांक 02/अ-82/17-18/बांसपुर / 2628

बैतूल दिनांक 15.05.2019

प्रतिलिपि:-

- 1- उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक जनसम्पर्क संचालनालय विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- उप मुख्य अभियंता मध्य रेल्वे अंजनी नागपुर (महा0) को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराने हेतु अग्रषित।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी)-सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार घोड़ाडोंगरी की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बांसपुर तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0 भू-अर्जन बैतूल